भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 708
उत्तर देने की तारीख : 06.02.2020

एमएसएमई क्षेत्र का पुनरुद्धार

708. श्री एन. रेड्डप्पः
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए विभेदकारी ब्याज दरों को लागू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) अर्थव्यवस्था में मंदी के परिणामस्वरूप एमएसएमई के अंतर्गत कौन-से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं ?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने 'एमएसएमई को वृद्धिपरक ऋण के लिए ब्याज छूट योजना' की घोषणा की है। यह योजना एमएसएमई को 1 करोड़ रूपए तक के नए और वृद्धिपरक ऋणों पर 2 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान करती है।

(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्र, इकाई स्तर के मुद्दों जैसे प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यवहार्यता आदि के अलावा घरेलू मांग, व्यवसाय चक्र, विश्व भर में व्यापार और मौद्रिक नीतियां, कॉमोडिटी कीमतें आदि जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं।

****